



**उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग**  
**निकट—महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, थानों रोड, रायपुर, देहरादून।**

वेबसाइट—[www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in)      mail: chayanayeg@gmail.com  
 फोन नं 0135-2669656 फैक्स नं 0135-2672902

पत्रांक:—परीक्षा/5

/2023-24 दिनांक: 17 अप्रैल 2023

विज्ञापि / अधिसूचना

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पद नाम—कर्मशाला अनुदेशक (शाखा—1 इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स) एवं कर्मशाला अनुदेशक (शाखा—2 मैकेनिकल) (पद कोड—043, 228, 229, 490, 268, 488, 652 / 37 / 2021) की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 12 जून, 2022 को अपरान्ह 2.00 बजे से 4.00 बजे तक आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा के उपरान्त पद नाम—कर्मशाला अनुदेशक (शाखा—1 इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स) एवं कर्मशाला अनुदेशक (शाखा—2 मैकेनिकल) की प्रथम उत्तर कुंजि पर प्राप्त चुनौतियों का विषय—विशेषज्ञों से समाधान के बाद संशोधित उत्तर कुंजि (Revised Answer Key) के आधार पर मात्र आयोग द्वारा लिए गये निर्णय के अनुक्रम में कुल रिक्त (उर्ध्वाधर/दीतिज आरक्षण अनुसार विज्ञापित) पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) पर प्रकाशित की जा रही है, जिसके अनुसार चयनित अन्यर्थी का अभिलेख सत्यापन दिनांक 27-04-2023 से निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार आयोग कार्यालय में किया जायेगा।

क्रम संख्या	पद नाम	औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची में चयनित अन्यर्थी का क्रमांक (S.No.)	अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि
1	कर्मशाला अनुदेशक (शाखा—1 इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स)	क्रमांक—01 से 29 तक	27.04.2023 (बुहस्पतिवार)
	कर्मशाला अनुदेशक (शाखा—2 मैकेनिकल)	क्रमांक—01 से 31 तक	
2	कर्मशाला अनुदेशक (शाखा—2 मैकेनिकल)	क्रमांक—32 से 91 तक	28.04.2023 (शुक्रवार)
3		क्रमांक—92 से 151 तक	01.05.2023 (सोमवार)
4		क्रमांक—152 से 194 तक	02.05.2023 (मंगलवार)

सूच्य है कि यह औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अन्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन—पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात् कुल आठ अन्यर्थीयों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष आठ घोषित किया जायेगा।

अतः समस्त औपबन्धिक रूप से चयनित अन्यर्थीयों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :—

१. औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अन्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित, जो अन्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक आहता के अनुलप्त अंकित किए गये शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र, की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियों (अलग-अलग) व ०६ पास पोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित रियियों को प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

2. व्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अन्यथी की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य समस्त वर्षों सहित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र तथा आरक्षण व स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षण (EWS/OBC/SC/ST/PH/EX/DFF) का लाभ लेने वाले अन्यथीयों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सहाम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. अन्यथी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
4. आयोग की वैबसाइट पर संवाद संख्या—79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप (पैकेलिस्ट) एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपचारिक प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो—दो प्रतियाँ (अलग—अलग) में हैंयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
5. अन्यथीयों के द्वारा ऑनलाईन प्राप्तिकर्ता (Preference) भरना अनिवार्य है। ऑनलाईन विकल्प भरने हेतु यूजर आईडीO—अन्यथी का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड—जन्म तिथि होगी। ऑनलाईन भरे गये विकल्पों को समर्पित करने के बाद दो प्रतियों में प्रिन्ट निकालना है। एक प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख सत्यापन की तिथि को आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। विकल्प/वरीयता एक बार समर्पित होने के बाद किसी भी दशा में संशोधित/परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
6. अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अन्यथीयों की उपस्थिति निलाना रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अन्यथी साहय के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 07 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अन्यथी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।
7. यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अन्यथी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अन्यथीयों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि असिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अन्यथी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम घयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
8. आयोग परिसर में गोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

उत्तराखण्ड अधीनस्त सेवा चयन आयोग।









**UTTARAKHAND SUBORDINATE SERVICE SELECTION COMMISSION  
PROVISIONAL MERIT LIST OF CANDIDATES FOR DOCUMENT VERIFICATION  
पद नाम –कमरुलालाअनुदेशक (शाखा-२ : मैकेनिकल)**

S.No.	Roll No.	Gender	Category	Sub Category	Gen Rank	Marks	Select As
191	1205802272	MALE	ST		283	57.25	ST-OP (11)
192	1203802062	FEMALE	ST		413	49.00	ST-UW (2)

